

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थी

बनाम

261

अप्रार्थीगण

दिनांक 30/1/20

1 गोमाराम पुत्र
डालूराम जाति जाट
निवासी तुलछी नगर,
गालाबेरी तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 निम्बाराम 2 जेठाराम पिसरान चुतराराम 3 मंगलाराम पुत्र
हुकमाराम 4 वरजूदेवी पत्नी लाधाराम जाति जाट निवासी
तुलछी नगर, गालाबेरी 5 दुर्गाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट
निवासी रामसर का कुआ 6 तेजाराम पुत्र रूगनाथराम 7 नरेश
पुत्र पूराराम 8 बाबू पुत्र चोखाराम 9 नारणाराम 10 कालूराम
पिसरान रामाराम 11 जोगाराम पुत्र तुलछाराम 12 कंवराराम 13
चेतनराम पिसरान खेराजराम 14 राणाराम 15 कालूराम पिसरान
अचलाराम 16 चैनी पत्नी टीकमाराम जाति जाट निवासी
तुलछी नगर, गालाबेरी 17 पेमाराम पुत्र चुतराराम 18 रेखाराम
पुत्र भगवनाराम 19 डूंगराराम पुत्र ताराराम जाति मेघवाल
निवासी हीरपुरा, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 144/2019

दिनांक- 30/01/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 934 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 936 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 1137/935 रकबा 10.09 बीघा व मौजा हीरपुरा पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1149/335 रकबा 09.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30/1/20

क्रमांक :- रीडर/2020/ 262-65-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गोमाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी तुलछी नगर, गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी निम्बाराम पुत्र चुतराराम वगैराह जाति जाट निवासी तुलछी नगर, गालाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

